21/18

A2/2

न्यायालय सहायक कलक्टर (फास्ट ट्रेक), श्रीगंगानगर
पीठासीन अधिकारी – श्रीमती रीना छींम्पा, R.A.S.

वादपत्र संख्या 26/2018
अन्तर्गत धारा 88, 92ए, 187 राज. काश्तकारी अधिनियम

श्रीमती रूपिन्द्रकौर आयु 52 वर्ष आत्मजा श्री जगजिन्द्रसिंह, जटसिख, चक 8 एल.एल. तहसील व जिला श्रीगगानगर.

...वादिया

बनाम

1. श्रीमती कुलवीरकौर धर्मपत्नी श्री सतविन्द्रसिंह, जटसिख, चक 8 एल.एल.
2. गुरजोतसिंह आत्मज श्री सतविन्द्रसिंह, जटसिख,
3. सुश्री शरणदीपकौर आत्मजा श्री सतविन्द्रसिंह, जटसिख, अव्यस्कण द्वारा न्यायमित्र श्रीमती कुलवीरकौर धर्मपत्नी श्री सतविन्द्रसिंह, जटसिख, चक 8 एल.एल. तहसील व जिला श्रीगंगानगर,
4. तहसीलदार (राजस्व), श्रीगंगानगर.

..प्रतिवादीगण

उपस्थित– श्री जीतपालसिंह सैनी (वादिया)
श्री रामेश्वरलाल सुथार (प्रतिवादी–1 से 3)
पैरोकार राज (प्रतिवादी–4)

दिनांक 22 जून, 2018

– निर्णय –

वादपत्र के तथ्यों के अनुसार चक 8 एल.एल. तहसील व जिला श्रीगंगानगर के खाता संख्या 76/48 मुरब्बा नबर 10 किला नम्बर 2/1(0.063) हैक्टर, किला नम्बर 4, 7 से 9, किला नम्बर 13 व 14, किला नम्बर 17 , 18, किला नम्बर 22 से 24 प्रत्येक सालम एवं मुरब्बा नम्बर 19 किला नम्बर 2, 9, 12, 19 प्रत्येक सालक किला नम्बर 22(0.228) हैक्टर, मुरब्बा नम्बर 20 किला नम्बर 3 से 8 प्रत्येक सालम, किला नम्बर 14 से 17 सालम किला नम्बर 24 एवं 25 प्रत्येक 0.228 हैक्टर कुल 7.072 हैक्टर कृषि भूमि श्री सतविन्द्रसिंह के नाम राजस्व अभिलेखो में दर्ज है. वादिया का विवाह स्व. श्री सतिन्द्रसिंह उर्फ सतविन्द्रसिंह आत्मज श्री प्यारासिंह के सथ दिनांक 2 फरवर, 1982 को रणसिंहवाला तहसील जैतों जिला फरीदकोट में सिख रीति रिवाजों के अनुसार हुई. विवाहोपरान्त दिनांक 21 जनवरी, 2001 तक वादिया अपने पति के साथ चक 8 एल.एल. तहसील व जिला श्रीगंगानगर में निवास करते रहे. किन्तु वादिया एवं उसके पति के विचार नहीं मिलने के कारण आपस में तलाक के लिये सहमति बन गयी जिस पर श्री सतविन्द्रसिंह ने स्थायी निर्वाह भत्ता एवं अन्य

सहायक कलक्टर एवं
कार्यापालक दण्डनायक
(फास्ट ट्रेक) श्रीगंगानगर

21/18

A2/3

अधिकारों के रूप में अपने नाम पर दर्ज चक 8 एल.एल. तहसील व जिला श्रीगंगानगर के खाता संख्या 76/48 मुरब्बा नम्बर 10 किला नम्बर 4, 7 से 9, किला नम्बर 13, 14, 17 एवं किला नम्बर 18 कुल 8.00 बीघा वादिया को देने बाबत प्रतिज्ञापत्र दिनांक 23 जुलाई, 2003 निष्पादित कर प्रश्नगत कृषि भूमि का कब्जा वादिया को सोंप दिया गया. श्री सतिन्द्रसिंह उर्फ सतविन्द्रसिंह द्वारा धारा 13 बी के अन्तर्गत जिला न्यायाधीश, श्रीगंगानगर के समक्ष शपथपत्र दिनांक 3 मार्च, 2004 प्रस्तुत किया गया कि स्थायी निर्वाह भत्ता की एवज में मिकर ने अपनी कृषि भूमि चक 8 एल.एल. के मुरब्बा नम्बर 10 किला नम्बर 4, 7 से 9, किला नम्बर 13, 14, 17 एवं किला नम्बर 18 कुल 8.00 बीघा कब्जा मय पानी वादिया को दे दिया गया है तथा खर्चा गुजारा की एवज में द्वितीय पक्ष ने प्राप्त कर लिया है जिससे स्पष्ट है कि सतविन्द्रसिंह ने पूर्ण होशो हवास एवं स्वेच्छा से उक्त दस्तावेज निष्पादित किया गया तथा इसके समर्थन में न्यायालय में शपथपत्र भी प्रस्तुत किया गया जिसे सही मानकर जिला न्यायाधीश, श्रीगंगानगर द्वारा धारा 13बी हिन्दू विवाह अधिनियम के अन्तर्गत तलाक की डिक्री जारी की गयी. श्री सतविन्द्रसिंह द्वारा प्रतिज्ञापत्र की पालना में 8.00 बीघा कृषि भूमि का कब्जा वादिया को सोंप दिया. फिर उक्त भूमि श्री सतविन्द्रसिंह को ठेके पर दी गयी. श्री सतविन्द्रसिह अपने जीवनकाल में वादिया को 8.00 बीघा भूमि का ठेका राशि का भुगतान करता रहा किन्तु श्री सतविन्द्रसिह की सन् 2010 में मृत्योपरान्त प्रतिवादी संख्या 1 सन् 2015 तक ठेका राशि देती रही किन्तु उसके बाद आनाकानी करती आ रही है तथा भूमि का कब्जा भी नहीं दे रहे हैं जबकि वादिया को अपने पति से प्राप्त उक्त भूमि को अपने भरणपोषण के लिये कब्जा में रखने की अधिकारिणी है. तथा पति की मृत्योपरान्त प्रथम श्रेणी की वारिस होने के कारण प्रतिवादी संख्या 2 व 3 के साथ बराबर बराबर की हकदार है. श्री सतविन्द्रसिंह की मृत्योपरान्त वादिया श्री सतविन्द्रसिंह की प्रथम श्रेणी की वारिस होने के कारण 1/3 हिस्सा एतद्द्वारा 2.35 हैक्टर की हकदार है तथा इस हेतु घोषणा करवाने की अधिकारिणी है. वादिय प्रतिज्ञापत्र दिनांक 23 जुलाई, 2003 की पालना में उक्त 8.00 बीघा भूमि की स्वामिनी है तथा श्री सतविन्द्रसिंह की प्रथम श्रेणी की वारिस होने के कारण 1/3 हिस्सा की वारिस है चूंकि श्री सतविन्द्रसिंह की मृत्यु हो गयी है तथा प्रतिवादी संख्या 1 से 3 द्वारा जानबूझ कर वादिया को छोड़कर उक्त 8.00 बीघा का नामान्तरकरण अपने नाम पर करवा लिया ताकि वादिया का हिस्सा हड़प किया जा सके. अब प्रतिवादीगण इस भूमि को विक्रय करने में प्रयासरत हैं. जिसके लिये दलालों से सम्पर्क किया जा रहा है. वादिया को मिली हुई कृषि भूमि पर प्रतिवादी संख्या 1 से 3 का कोई अधिकार नहीं है. वादिया की भूमि पर constructive possession है अब प्रतिवादी संख्या 1 से 3 इस भूमि को बंधक, विक्रय नहीं कर सकते जिसके

सहायक कलेक्टर एवं
कार्यपालक दण्डनायक
(फास्ट ट्रेक) श्रीगंगानगर

21/18

A2
4

लिये प्रतिवादी संख्या 1 से 3 को कोई अधिकार नहीं है कि वादिया की भूमि को बंधक अथवा विक्रय करें. प्रतिवादी संख्या 1 ने विरासत में प्राप्त 2.357 हैक्टर कृषि भूमि में से 1.265 हैक्टर कृषि भूमि का विक्रय श्री गोरासिंह आत्मज श्री हरबन्ससिंह को कर दिया जिसमें प्रतिवादी संख्या 1 की मंशा स्पष्ट नजर आ रही है, ऐसी स्थिति में शेष भूमि का विक्रय करने में प्रयासरत है जिसे रोका जाना आवश्यक है. वादिया प्रतिवादी संख्या 1 से मिली तथा न्यायमित्र की हैसियत से दिनांक 3 मार्च, 2017 को निवेदन किया कि वह उक्त भूमि की प्रतिज्ञापत्र एवं प्रथम श्रेणी की वारिस होने के कारण वादिया का स्वामित्व समझे तथा बंधक, विक्रय न करें किन्तु उन्होने स्पष्ट इन्कार कर दिया. यही वाद हेतुक उपलब्ध है. इस प्रकार वादिया द्वारा चक 8 एल.एल. के खाता संख्या 76/48 मुरब्बा 10, 19, 20 की कुल 7.072 हैक्टर में वादिया को 1/3 हिस्सा एतद्द्वारा 2.35 हैक्टर का वादिया को खातेदार घोषित किया जावे तथा चक 8 एल.एल. के मुरब्बा नम्बर 10 किला नम्बर 4, 7 से 9, किला नम्बर 13, 14, 17 एवं किला नम्बर 18 कुल 8.00 बीघा कृषि भूमि का वादिया को खातेदार घोषित किया किया जावे तथा नामान्तरकरण संख्या 449 वादिया के हितों पर निष्प्रभावी घोषित किया जावे, प्रतिवादी संख्या 1 से 3 के विरूद्व, चक 8 एल.एल. के मुरब्बा नम्बर 10 किला नम्बर 4, 7 से 9, किला नम्बर 13, 14, 17 एवं किला नम्बर 18 कुल 8.00 बीघा कृषि भूमि को बंधक विक्रय नहीं कर रिकार्ड की यथास्थिति बनायी रखी जावे, की स्थायी निषेधाज्ञा जारी की जावे. वादपत्र के तथ्यों के समर्थन में प्रतिज्ञापत्र दिनांक 23 जुलाई, 2003, चक 8 एल. एल. की जमाबन्दी सम्बत् 2066–2069, मा. न्यायालय जिला न्यायाधीश, श्रीगंगानगर द्वारा विविध दीवानी प्रकरण संख्या 149/2003 शीर्षक सतिन्द्रसिंह बनाम श्रीमती रूपिन्द्रसिंह में पारित आदेश मय डिक्री दिनांक 3 मार्च, 2004, फर्द अहकाम दिनांक 7 अगस्त, 2003 से 3 मार्च, 2004, वादपत्र मय शपथपत्र एवं चक 8 एल.एल. के नामान्तरकरण संख्या 449 की चित्रित प्रतियां संलग्न प्रस्तुत की गयी.

प्रतिवादी संख्या 1 से 3 अधिवक्ता के माध्यम से उपस्थित एवं प्रतिवादी संख्या 4 राज्यपक्ष की ओर से पैरोकार राज उपस्थित.

प्रतिवादी संख्या 1 से 3 की ओर से आवेदनपत्र दिनांक 19 अप्रेल, 2018 अन्तर्गत आदेश 7 नियम 11 व्यवहार प्रक्रिया संहिता प्रस्तुत किया गया जिसके अनुसार वादिया द्वारा विचाराधीन वाद कथित प्रतिज्ञापत्र दिनांक 23 जुलाई, 2003 के आधार पर अपने आप को खातेदार घोषित करवाने हेतु प्रस्तुत किय ागया है तथा प्रतिज्ञापत्र स्व. सतविन्द्रसिंह द्वारा तहरीर करवाने का कथन किया गया है. प्रथमदृष्टया ऐसा कथित प्रतिज्ञापत्र पंजीबद्व नहीं है इसके अतिरिक्त, इसे स्वयं वादिया ने ही गुजारा भत्ता के लिये एक तरह से सतविन्द्रसिंह

सहायक कलक्टर एवं
कार्यपालक दण्डनायक

21/18

A2
5

द्वारा अनुबन्ध करने का कथन किया गया है. किसी भी अनुबन्ध जो कि पंजीबद्व न हो के सम्बन्ध में केवल सिविल न्यायालय ही वाद सुनने के लिये सक्षम है. मा. न्यायालय को किसी भी प्रकार से सुनवाई का कोई अधिकार उपलब्ध नहीं है. वादिया द्वारा प्रस्तत विचाराधीन वाद विधि द्वारा वर्जित होने से इसी स्तर पर निरस्त किये जाने योग्य है अथवा सक्षम सिविल न्यायालय में कथित प्रतिज्ञापत्र (अनुबन्धपत्र) की पालना के लिये लौटाया जाना आवश्यक है. वादिया द्वारा कथित प्रतिज्ञापत्र दिनांक 23 जुलाई, 2003 के सम्बन्ध में सतविन्द्रसिंह के जीवनकाल में कभी काई कार्यवाही इसकी पालना के लिये नहीं की. श्री सतविन्द्रसिंह की मृत्यु हो चुकी है तथा कब्जा प्रतिवादीगण का होना स्वयं ही वादिया ने माना है. अतः वादिया को हम प्रतिवादीगण के विरूद्व किसी प्रकार से वादकरण ही उत्पन्न नहीं होने से भी वादपत्र इसी स्तर पर निरस्त किये जाने योग्य है. इस प्रकार वादिया द्वारा प्रस्तुत वादपर इसी स्तर पर निरस्त करने अथवा सक्षम सिविल न्यायालय में प्रस्तुत करने के लिये लौटाये जाने के आदेश हेतु निवेदन किया गया. आवेदनपत्र के तथ्यों के समर्थन में न्यायालय उपखण्ड अधिकारी(राजस्व), श्रीगंगानगर द्वारा अपील प्रकरण संख्या 28/20126 श्रीमती रूपिन्द्रकौर बनाम ग्राम पंचायत व अन्य में पारित निर्णय दिनांक 16 फरवरी, 2018 की चित्रित प्रति संलग्न प्रस्तुत की गयी.

वादिया की ओर से जवाब आवेदनपत्र दिनांक 7 जुलाई, 2018 प्रस्तुत किया गया जिसके अनुसार वादिया द्वारा प्रस्तुत प्रतिज्ञापत्र दिनांक 23 जुलाई, 2003 सतविन्द्रसिंह द्वारा स्वयं निष्पादित किया गया है जो कि भरणपोषण की एवज में है जिसकी बाबत राजस्व न्यायालय को क्षेत्राधिकार प्राप्त है. वादिया द्वारा अपने पति की भूमि में खातेदारी अधिकारों की घोषणा का अनुतोष चाहा गया है जिसकी बाबत अन्य किसी न्यायालय को क्षेत्राधिकार प्राप्त नहीं है. उक्त वाद विधि द्वारा वर्जित नही है. आवेदक द्वारा उठाया गया क्षेत्राधिकार का बिन्दू विवाद्यक एवं साक्ष्य बनाकर ही निर्णित किया जा सकता है. सतविन्द्रसिंह द्वारा प्रतिज्ञापत्र स्वयं निष्पादित किया गया है तथा धारा 12बी हिन्दू विवाह अधिनियम के अन्तर्गत जिला न्यायाधीश, श्रीगगानगर के शपथपत्र दिनांक 3 मार्च, 2006 इस आश्य का प्रस्तुत किया गया है कि उसने स्थायी निर्वाह भत्ता की एवज में अपनी कृषि भूमिवादिया को दे दी है अब वह उक्त भूमि की धारा 14 हिन्दू उत्तराधिकार अधिनियम के अन्तर्गत सम्पूर्ण मालिक है. इस प्रकार आवेदनपत्र निरस्त किये जाने का निवेदन किया गया.

अधिवक्तागण द्वारा प्रस्तुत बहस सुनी गयी.

पत्रावली पर उपलब्ध तथ्यों एवं अभिलेखीय साक्ष्यों का अवलोकन करते हुऐ प्रस्तुत बहस पर मनन किया गया.

सहायक कलक्टर एवं
कार्यपालक दण्डनायक
(फास्ट ट्रेक) श्रीगंगानगर

21/18

A2
6

पत्रावली के अनुसार वादिया द्वारा प्रस्तुत विचाराधीन वादपत्र का मुख्य आधार श्री सतिन्द्रसिंह आत्मज श्री प्यारासिंह द्वारा निष्पादित प्रतिज्ञापत्र दिनांक 23 जुलाई, 2003 एक अप्रमाणित अभिलेख है जिसके तथ्यों के अनुसार तलाक का फैसला न्यायालय से होने के एक सप्ताह के अन्दर अन्दर बैयनामा या गिफ्टडीड प्रतिग्रहिता यानि श्रीमती रूपिन्द्रकौर के पक्ष में करने के लिये पाबन्द रहूंगा. इसके साथ ही, यह भी अंकित किया गया है कि न्यायालय से तलाक का फैसला होने के एक सप्ताह के अन्दर अन्दर यदि प्रथम पक्ष सतिन्द्रसिंह बैयनामा या गिफ्टडीड श्रीमती रूपेन्द्रकौर द्वितीय पक्षकार के हक में पंजीयन नहीं करायेगा तो उस सूरत में द्वितीय पक्ष श्रीमती रूपेन्द्रकौर को अधिकार होगा कि वह प्रथम पक्ष से उक्त वर्णित भूमि का बैयनामा या गिफ्टडीड सक्षम न्यायालय से अपने पक्ष में करवा सकेगी और इसके अलावा दावा का खर्चा व हर्जाना आदि के रूप में प्रथम पक्ष सतेन्द्रसिंह द्वितीय पक्षकार श्रीमती रूपेन्द्रकौर को मु. 10,00,00.00 अखरे एक लाख रूपया भी देने का पाबन्द रहेगा. उस हालत में यह प्रतिज्ञापत्र प्रथम पक्षकार सतेन्द्रसिंह द्वारा लिखा गया इकरारनामा पढा जायेगा. इसके अतिरिक्त, प्रतिज्ञापत्र दिनांक 23 जुलाई, 2003 में वर्णित चक 8 एल.एल. के मुरब्बा नम्बर 10 किला नम्बर 4, 7 से 9, किला नम्बर 13, 14, 17 एवं किला नम्बर 18 कुल 8.00 बीघा कृषि भूमि के भौतिक कब्जा वादिया को सोंपे जाने के कोई भी तथ्य अंकित नही किये गये हैं. इस प्रकार अपंजीबद्व प्रतिज्ञापत्र दिनांक 23 जुलाई, 2003 स्पष्ट रूप से इकरारनामा की परिभाषा मे आता है जिसकी बाबत किसी भी प्रकार का वादपत्र का श्रवणाधिकार इस न्यायालय को उपलब्ध नहीं होने के कारण विचाराधीन वादपत्र इस न्यायालय के समक्ष पोषणीय नहीं है.

।। निर्णय ।।

अतः आवेदनपत्र अन्तर्गत आदेश 7 नियम 11 व्यवहार प्रकिया संहिता स्वीकार किया जाता है तथा वादिया इस न्यायालय के माध्यम से किसी भी प्रकार अनुतोष प्राप्त करने की अधिकारिणी नही होने के कारण विचाराधीन वादपत्र इसी स्तर पर निरस्त किया जाता है.

आदेश कैम्प– चक 27 जी.जी. में खुले न्यायालय में आज दिनांक 22 जून, 2018 को सुनाया जाकर मेरे हस्ताक्षर एवं न्यायालय की मुद्रा से जारी किया गया.

(श्रीमती रीना छीम्पा)
सहायक कलक्टर (फास्ट ट्रेक)
श्रीगंगानगर

कार्यपालक दण्डनायक
(फास्ट ट्रैक) श्रीगंगानगर